# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

**अपील संख्या 158/2022**

**आरसीएमएस नं. 2022/158**

गुरचरण सिंह पुत्र मुकन्द सिंह पुत्र लहणा सिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

**——अपीलार्थी**

**बनाम**

1. हरपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख, निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अजायब सिंह पुत्र
3. राजेन्द्र सिह पुत्र
4. गुरप्रीत कौर पुत्री
5. सुखजीत कौर पुत्री

} गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

**—— रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.01.22 व डिक्री दिनांक 24.01.2022
द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी
अनवान हरपाल सिह बनाम अजायब सिंह आदि प्र. सं. 649 –ए /2021

**उपस्थितिः–**

श्री राजेश कुमार छीम्पा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविद्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 5.8.2020

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन कियाकि वादी व प्रतिवादीगण के पिता गुरचरण सिह के नाम से चक 854 आरडी के खाता सं0 45/36 में कुल .506 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। गुरचरण सिंह फौत हो चुका है वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में बंटवारा किया हुआ है व प्रतिवादीगण सं0 2 व 4 जो की सगी बहनों है जिन्होंनें अपने हक व हिस्सा की आरजी का हकत्याग कर रखा है

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदि का कथन करते हुए वादी ने प्रश्नगत भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम ब.हिब. अंकन करवाकर गुरचरण चक 654 आरडी के खाता सं0 45/36 में से गुरचरण सिंह का नाम कलजमन करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 के रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन भिजवाये गये सम्मन अखबार में भी साया करवाये गये मगर उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट एक भू माफिया गिराह है जो फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं व उन दस्तावेजों को दूसरे जगह इस्तेमाल करने में माहिर व्यक्ति है। इसी शातिराना हरकत के चलते रेस्पोडेंट ने अपीलांट की भूमि हड़पने के उद्देश्य से अपीलांट की भूमि पर फर्जी दस्तावजों के आधार पर अपीलांट को मृत दिखाकर दावा लगाकर प्रश्नगत निर्णय पारित करवा लिया। वास्तविक स्थिति यह है कि रेस्पोडेंट अपीलांट के परिवाद के सदस्य नहीं हैं न ही अपीलांट के गांव के हैं। अपीलांट गुरचरण सिंह पुत्र मुकंद सिह पुत्र लहणा सिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ अनपढ व्यक्ति है। समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, सरपंच प्रमाण पत्र पहचान पत्र, जमाबंदी, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आदि संलग्न है। प्रश्नगत रकबा चक 654 आरडी प. नं. 223/313 किला नं. 13 व प. नं. 223/314 कि. नं. 5 कुल .506 है0 में प. नं. 223/313 किला नं. 13 अपीलांट का मुखराम पुत्र श्री मामराज आदि से दिनांक 02.04.1977 को खरीदशुदा है। रेस्पोडेंट ने अपस में मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर व मिथ्या साक्ष्य देकर गांव सिलवाला खुर्द का किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर व किसी अन्य औरत का मृत्यु प्रमाण पत्र पेशकर गलत आधारों पर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जबकि जमाबंदी रिकार्ड में अपीलांट का पता गुरचरण सिंह पुत्र मुकंद सिह, कौम जटसिख साकिन बैहरवाला कलां स्पष्ट अंकित है, जिस विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज होने के कारण एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने प्रश्नगत भूमि में अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया था जो विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया है। अपीलाण्ट का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

कथन है कि प्रश्नगत भूमि उसके द्वारा खरीद की हुई है। रेस्पोडेंट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपीलाण्ट को मृत दिखाकर दावा निर्णय पारित करवाया है। रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है और न ही अपीलाण्ट के गांव का है। अपीलाण्ट के तथ्यों की पुष्टि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, आधार कार्ड, सरपंच प्रामणपत्र, पहचान पत्र, जमाबंदी, राशन कार्ड से होती है। जिसमें अपीलाण्ट गुरचरण सिंह पुत्र मुकंद सिह पुत्र लहणा सिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ अंकित है। रेस्पोडेंट ने किसी अन्य व्यक्ति का मृत्य प्रमाण पत्र पेश कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाई है। जबकि वास्तविक रूप से अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का हकदार है। अपीलाधीन निर्णय में अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना उसकी भूमि रेस्पोडेण्ट ने अपने नाम दर्ज करवा ली हैं। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों स्वीकार किये जाने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा निवेदन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों से अधीनस्थ न्यायालय की अवधारणा को पलटने के पर्याप्त आधार है तथा इन इस कारण प्रकरण को रिमाण्ड किये बिना अंतिम निस्तारण किये जाने के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 1999 पेज 390, आरआरडी 2003 पेज 150 आरआरडी 2005 पेज 397, आरआरडी 2006 पेज 375 प्रस्तुत किये अपील के दौरान हुए दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में प्रश्गनत भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी सिद्ध हुई है इस स्थिति में इस प्रकरण को रिमाण्ड करने का कोई औचित्य नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2022 एवं डिक्री दिनांक 24.01.2022 खारिज किये जाते हैं। अपीलाण्ट गुरचरण सिह पुत्र मुकन्द सिंह पुत्र लहणासिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवावला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ को चक नं. 654 आरडी के खाता संख्या 45/36 में कुल .506 है0 भूमि की राजस्व अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। मत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.8.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/8/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

**अपील संख्या 158/2022**
**आरसीएमएस नं. 2022/158**

गुरचरण सिंह पुत्र मुकन्द सिंह पुत्र लहणा सिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

**—अपीलार्थी**

**बनाम**

1. हरपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख, निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अजायब सिंह पुत्र
3. राजेन्द्र सिह पुत्र
4. गुरप्रीत कौर पुत्री
5. सुखजीत कौर पुत्री

गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

**— रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णित निर्णय दिनांक 20.01.22 व डिक्री दिनांक 24.01.2022
द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी
अनवान हरपाल सिह बनाम अजायब सिंह आदि प्र. सं. 649 –ए /2021

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेश कुमार छीम्पा, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री रविद्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक की बहस समायत की जाकर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2022 एवं डिक्री दिनांक 24.01.2022 खारिज किये जाते हैं। अपीलाण्ट गुरचरण सिह पुत्र मुकन्द सिंह पुत्र लहणासिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवावला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ को चक नं. 654 आरडी के खाता संख्या 45/36 में कुल .506 है0 भूमि की राजस्व अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल की जाती है।
डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 5.8.2022 को जारी की गई।

5/8/22
(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ